जो पेश। होवे।

(Ready)

19.06.2024 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित। ~~वकील~~ बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त आराजी है। प्रथमदृष्टया सामान्य सुविधा एवं असंतुलन की दृष्टि से प्रार्थी के पक्ष में है। ऐसे में रिकॉर्ड व मौके की स्थिति में परिवर्तन किये जाने पर वाद विविक्षता बढ़ेगी। तथा प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

अतः अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर

दोनों पक्षों को पाबंद किये जाते हैं कि मौजा देन्चरा भगत में खाता सं. 90 के ख.सं. 285, 286, 287, 288, 362, 367, 368, 369, 438 का कुल खेत कित्ता 9 रकबा 3.8365 हैक्ट. भूमि में दोनों पक्ष मूल वाद के फैसले तक अतिक्रमण, निर्माण कार्य न तो स्वयं करें न मान्य किसी व्यक्ति से करावें। दोनों पक्ष एक-दूसरे को अपनी अपनी भूमि में काश्त करने में रुकावट पैदा न करें। दोनों पक्ष रिकॉर्ड व मौके यथास्थिति बनाए रखें।

पन्नावली में मूल वाद के फैसले तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पन्नावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा